निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

निष्कर्ष

सरकार द्वारा, अप्रत्याशित लाभों को प्रदान करने तथा उनके पूर्ण करने में शीघ्रता के मौलिक उद्देश्यों सहित उनके राष्ट्रीय महत्व को दृष्टि में रखते हुए सोलह राष्ट्रीय परियोजनाओं की पहचान की गई। यह मौलिक उद्देश्य वास्तव में केवल पांच परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ योजना के अस्तित्व के लगभग एक दशक बाद तक अप्राप्य रहा। ₹ 13,299.12 करोड़ का कुल व्यय मार्च 2017 तक इन पांच परियोजाओं पर किया गया। इतने अधिक व्यय किए जाने के बाद भी पांच में से कोई भी परियोजना पूर्ण होने के समीप नहीं थी तथा सिंचाई क्षमता के निर्माण तथा जल और बिजली उत्पादन की वृद्धि के संबंध में प्रत्याशित लाभों को अभी तक प्रोद्भूत होना था।

लागू किए जा रहे पांच परियोजनाओं में परियोजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति के संदर्भ में आठ से 99 प्रतिशत की कमी तथा कुल लागत में 2,341 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी जिसने परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता को खतरे में डाल दिया। सभी 16 परियोजनाओं तथा कार्यान्वयन के अंतर्गत पांच परियोजनाओं के लिए परिकल्पित इच्छित सिंचाई क्षमता का क्रमशः केवल 15 प्रतिशत तथा 37 प्रतिशत अब तक उपयोग किया गया है। आगे, गोसिसुर्द परियोजना में निर्मित 0.53 एम.ए.एफ. क्षमता के अतिरिक्त बिजली उत्पादन, पेयजल तथा अतिरिक्त जलाशय क्षमता के संबंध में अन्य संबंधित लाभों संबंधी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई।

सुस्त कार्यान्वयन एवं लागत में वृद्धि के लिए प्रबंधन की विफलताओं तथा सर्वेक्षण और जांच, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना स्थलों के लिए सांविधिक मंजूरी सुनिश्चित करने और भूमि अधिग्रहण में प्रशासनिक विलम्ब के लिए आवश्यक घटक है, से संबंधित कोडल प्रावधानों का गैर-अनुपालन के संदर्भ में कमियों को उत्तरदायी ठहराया गया था। इसमें निष्फल पुनर्वास और स्थानांतरगमन उपायों द्वारा वृद्धि हुई जिससे परियोजनाओं की प्रगति में और बाधा आई। इसका परिणाम समझौतों में संशोधन के कारण ₹ 1,331.91 करोड़ और मुआवजे के विलंबित भुगतान से उत्पन्न ब्याज के भुगतान के कारण ₹ 82.35 करोड़ का अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ।

प्रस्तावों को संसाधित करने में अनुचित देरी, सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी, कोडल प्रावधानों और नियमों का गैर-अनुपालन और खराब संविदा प्रबंधन तथा प्रवर्तन ने भी लागत में वृद्धियों और निष्पादन की देरी में योगदान दिया। संविदा शर्तों के अनुरूप

अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रवर्तन करने में परियोजना प्राधिकारियों की विफलता के कारण व्यतिक्रमित संवेदकों से ₹ 32.16 करोड़ की गैर-वसूली के साथ-साथ लागत में ₹ 224.54 करोड़ की वृद्धि हुई। विभागीय प्राधिकारियों ने तात्कालिक आधार पर या कामकाज में तेजी लाने के लिए समझौते के शर्तों के अतिरिक्त ठेकेदारों को ₹ 72.13 करोड़ की रकम जारी की। ठेकेदारों को वित्तीय सहायता के रूप में यह राशि लोक धन से दी गई। तथापि, यह भी कार्य की धीमी गति को बदल नहीं पाया। इसके अलावा, कोडल प्रावधानों और निविदा/समझौते की शर्तों में विचलन ने, ठेकेदारों के चयन, कार्यों को सौंपने और उनके निष्पादन की प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता में कोई आश्वासन प्रदान नहीं किया।

अंततः, निर्मित ढांचा में पड़ी दरारों एवं क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त व प्रभावी निगरानी तथा समय पर कार्रवाई के अभाव, दोनों ने कार्य की धीमी प्रगति के साथ-साथ पहले से निर्मित परिसम्पतियों के अपर्याप्त अनुरक्षण में योगदान दिया।

संस्तुतियां

हमारे लेखापरीक्षा निष्कषों के आधार पर निम्न संस्तुतियां की जाती हैं:

1. इन परियोजनाओं के राष्ट्रीय महत्व को दृष्टि में रखते हुए, इन परियोजनाओं को, कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजानाओं की प्रगति की प्रभावशाली निगरानी के लिए तथा राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय में बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा एक मिशन मोड में लिया जाए।
2. मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य के कार्यान्वयन को समान स्तर पर सुनिश्चित किया जाए तथा संबंधित राज्यों को कमाण्ड क्षेत्र विकास प्रस्तावों को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाए।
3. दोषयुक्त संविदा प्रबंधन जो कि लागत वृद्धि का कारण है, के लिए संविदा प्रबंधन को सुव्यवस्थित किए जाने तथा परियोजना अधिकारियों पर जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है।
4. मंत्रालय द्वारा राजस्व प्राधिकारियों के साथ अच्छे समन्वय के द्वारा अपर्याप्त भूमि अधिग्रहण तथा आर.&आर. उपायों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए संबंधित राज्यों पर प्रभाव डाला जाए।

5. प्रगति की निगरानी तथा निधियों की उपलब्धता सहित बाधाओं की पहचान करने के लिए मंत्रालय तथा राज्य विभाग के बीच नियमित बैठक द्वारा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।

(मनीष कुमार)

नई दिल्ली — **प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा**

दिनांकः 21 मार्च 2018 — **वैज्ञानिक विभाग**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(राजीव महर्षि)**

दिनांकः 21 मार्च 2018 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**